मूल वाद संख्या 2022/098

फर्द अहकाम अन्तर्गत नियम 26

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर.

गुड्डी देवी बनाम हरप्रीत सिंह व अन्य

विविध प्रार्थना संख्या 2022/056

अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

आदेश दिनांक	आदेश अथवा कार्यवाही विवरण	आदेश कमांक एवं दिनांक
28.11.2022	वकील प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए का पेश किया। प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अधिवक्ता प्रार्थी को एक पक्षीय सुना गया। बहस अधिवक्ता, शपथ-पत्र एवं सलग्न दस्तावेजात के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि उभयपक्ष प्रश्नगत आराजी चक 4 वाई, तहसील व जिला श्रीगंगानगर, पटवार हल्का कालियां, भू0अ0नि0 क्षेत्र कालियां के खाता संख्या 95/96 के मुरब्बा नम्बर 47 के किला नम्बर 1 ता 18 एवं किला नम्बर 25 में कुल 4.110 हैक्टेयर रकबा के मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति को बनाये रखे। इस संबंध में कोई उज्र/ऐतराज हो तो वकालतन/असलतन आगामी तारीख पेशी तक पेश करे। वकील प्रार्थी रजिस्टर्ड ए.डी. से तामील करवाकर 03 दिवस में रसीदें पेश करे। इसके अभाव मे अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः निरस्त मानी जावेगी। अप्रार्थीगण के नाम से रजिस्टर्ड नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 27 दिसम्बर, 2022 को पेश हो।	
	27/12/22 आज बार संघ ने कार्य नहीं करने का निर्णय लिया है। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 17.1.23 को पेश हो।	
17.1.23	आज पीठासीन अधिकारी [illegible] पर है, पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 31.1.23 को पेश हो।	
31-1-23	आज पीठासीन अधिकारी [illegible] पर है, पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 10/2/23 को पेश हो।	
10/2/23	आज बार संघ ने कार्य नहीं करने का निर्णय लिया है। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 9/3/23 को पेश हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.12.04 17:41:13 IST
Reason: SelfAttested

Signature Not Verified

Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.12.04 17:41:13 IST
Reason: SelfAttested

-

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी– स्वाति गुप्ता, आर.ए.एस.

विविध प्रार्थना पत्र संख्या 2022/056
अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम

1. गुड्डी देवी पत्नी हरप्रीत सिंह उर्फ सीपू निवासी चक 6 वाई ग्राम पंचायत 3 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0) ....**प्रार्थी**

बनाम

1. हरप्रीत सिंह पुत्र श्री सन्ता सिंह जाति जटसिख निवासी कालियां तहसील व जिला श्रगंगानगर।
2. मनजीत सिंह पुत्र श्री सन्ता सिंह जाति जटसिख निवासी कालियां तहसील व जिला श्रगंगानगर।
3. जसमेल कौर पत्नी श्री सन्ता सिंह जाति जटसिख निवासी कालियां तहसील व जिला श्रगंगानगर।
4. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला शाखा कालियां।
5. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार।
6. तरसेम सिंह पुत्र गुड्डी देवी पत्नी हरप्रीत सिंह उर्फ सीपू निवासी क 6 वाई ग्राम पंचायत 3 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0)
7. वकील पुत्र गुड्डी देवी पत्नी हरप्रीत सिंह उर्फ सीपू निवासी क 6 वाई ग्राम पंचायत 3 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0) ......**अप्रार्थीगण**

उपस्थित– श्री ओमप्रकाश बत्तरा (प्रार्थी)
श्री गुरमेल सिंह (अप्रार्थी सं0 01 ता 03)

दिनांकः– 25 नवम्बर, 2024

–निर्णय–

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्ष उपस्थित। पत्रावली में बहस प्रार्थना पत्र धारा 212 राज. काश्त. अधिनियम सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किए कि– पूर्व में प्रार्थिया की शादी रामस्वरूप के साथ हुई थी जिससे प्रार्थीया के दो लड़के थे अप्रार्थी संख्या 2 व 3 है। प्रार्थीया का पूर्व पति अरसा पूर्व 18–20 साल पहले स्वर्गवास हो गया था। स्वर्गवास होने के बाद प्रार्थीया अप्रार्थी के साथ रहती थी तथा बाद में आपसी में मनमुटाव होने की वजह से अप्रार्थी संख्या 01 ने प्रार्थीया को पत्नी मानने से इन्कार कर दिया तो प्रार्थीया ने अप्रार्थी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया तो अप्रार्थीगण द्वारा पंचायत की इसमें पंचायत द्वारा सभी ने यह कहा कि अप्रार्थी संख्या 01 की पत्नी प्रार्थीया है जिस पर दिनांक [illegible].04.2022 को आपसी पंचायत ने राजीनामा करवाया। उस राजीनामा के तहत जो मुकदमा प्रार्थिया ने [illegible]गण के खिलाफ किया था वह मुकदमा वापिस हो गया। उसी रोज अप्रार्थी संख्या [illegible] ने एक शपथ पत्र विवाह के सम्बन्ध में लिखा जिसमें प्रार्थिया को अपनी [illegible] है तथा पत्नी को जो अधिकार होते है वह तमाम अधिकार प्रार्थिया के ही [illegible] संख्या 01 को अपने पिता से चक 4 वाई कालियां खाता संख्या 95/96 मुरब्बा नम्ब[illegible]7 में किला नम्बर 1/1 में 0.1640 हैक्टेयर किला नम्बर 1/2 में 0.0630 हैक्टेयर, किला नम्बर 2/1 में 0.0380 हेक्टेयर, किला नम्बर 2/2 में 0.1900 हैक्टेयर, किला नम्बर 3 ता 6 प्रत्येक में 0.253 हैक्टेयर किला नं0 7/1 में 0.1900 हैक्टेयर, किला नम्बर 7/2 में 0380 हेक्टेयर, किला नम्बर 8/1 में 0.0630 हेक्टेयर, किला नम्बर 8/2 में 0.1640 हैक्टेयर, किला नम्बर 9 व 10 प्रत्येक में 0.253 हैक्टेयर, किला नम्बर 11 में 0.0890 हैक्टेयर, किला नम्बर 12 में 0.2150 हैक्टेयर, किला नम्बर 13 व 14 प्रत्येक में 0.253 हैक्टेयर, किला नम्बर 15/1 में 0.164 हैक्टेयर, किला नम्बर 15/2 में 0.0630 हेक्टेयर, किला नम्बर 16 में 0.2530

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.12.04 17:41.13 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एव कार्यपालक दण्डनायक (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

-

हेक्टेयर, किला नम्बर 17 में 0.2150 हेक्टेयर एवं किला नम्बर 18 में 0.890 हैक्टेयर एवं 25 में 0.890 हैक्टेयर भूमि है। जिसमें अप्रार्थी संख्या 01 को विरास्तन काल के आधार पर खाता संख्या 95/96 मुरब्बा नम्बर 47 में 1645/4111 हैक्टेयर रकबा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। तथा अप्रार्थी संख्या 02 के नाम चक 4 वाई खाता संख्या 95/96 में मुरब्बा नम्बर 47 में 1644/4111 रकबा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। अप्रार्थी संख्य 03 के नाम चक 4 वाई खाता संख्या 95/96 में हैक्टेयर राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। अप्रार्थीगण के मन में बदनीति आ गयी है तथा अप्रार्थी संख्या 01 शराब पीने का आदि है तथा वह जमीन बेचने की फिराक में है जबकि उसे बेचने का अधिकार नहीं है क्योंकि उसकी स्वअर्जित भूमि नहीं है बल्कि जद्दी जायदाद है जिसमें प्रार्थीगण का हिस्सा जन्म से ही बनता है। यदि उसने जमीन क़ा बेचान कर दिया तो प्रार्थीगण को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा तथा प्रार्थीगण अपने हक से महरूम हो जावेगें। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण को कई बार समझाने की कोशिश की तथा इसी जमीन में अपने परिवार का गुजारा चल रहा है यदि यह जमीन बेच दी गयी तो प्रार्थीगण का घर चलाना मुश्किल हो जावेगा। ऐसी सूरत में जमीन का बेचान किया जाना उचित नहीं होगा लेकिन वह नहीं माना तो प्रार्थीगण द्वारा पंचायत भी की मगर पंचायत में भी अप्रार्थी ने साफ दो रोज पहले इन्कार कर दिया इसलिए प्रार्थी को वाद लाने के अलावा अन्य कोई चारा नहीं है। अप्रार्थी संख्या 01 के नाम चक 4 वाई मुरब्बा नम्बर 47 में 1645/4111 रकबा दर्ज है जिसमें प्रार्थीगण का 1/3 हिस्सा बनता है तथा अप्रार्थी संख्या 02 के नाम 822/4111 हेक्टेयर रकबा में से 1/2 हिस्सा प्रार्थीया के पति का हिस्सा आता है जिसमें प्रार्थीगण का 1/2 में से 3/4 हिस्सा प्रार्थी प्राप्त करने के अधिकारी है तथा अपने अधिकारों की घोषणा करवाने के हकदार है। प्रथम दृष्टि से मामला प्रार्थीया के पक्ष में है एवं सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीया के पक्ष में है। यदि अप्रार्थीयान द्वारां जमीन का बेचान कर दिया जाता है तो प्रार्थीया के दावे का मकसद ही समाप्त हो जावेगा तथा प्रार्थीयान को अपूर्णीय क्षति होगी। प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ताफैसला दावा चक 4 वाई खाता संख्या 95/96 में मुरब्बा नम्बर 47 किला नम्बर 1 ता 18 एवं किला नम्बर 25 में कुल 4.110 हैक्टेयर रकबा को अप्रार्थीयान रहन व मुन्तकिल ना करे तथा राजस्व रिकार्ड एवं मौका की यथास्थिति कायम रखे जाने का आदेश दिया जावे।

अप्रार्थी संख्या 01, 02 व 03 द्वारा जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुये निवेदन किया कि– प्रार्थना पत्र की मद संख्या 01 में अंकित कथन में वादिया द्वारा दावा पेश किये जाने का कथन स्वीकार है परन्तु उक्त दावा मिथ्या व मनगढत आधारों पर पेश किया गया होने से स्वीकार होने की कतई संभावना नही है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 02 में अंकित कथन निराधार व मनगढत होने तथा दावा का आधार बनाने हेतु कपोल कल्पित अंकित करवाये गये होने से स्वीकार नही हैं। वास्तविक तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थिया आपराधिक प्रवृति की महिला हैं व प्रार्थिया ने अप्रार्थी संख्या 01 को ब्लैकमेल करने के आशय से उस पर दिनांक 23.03.2022 को एक झूठा व मनगढत प्रकरण संख्या 59/22 अन्तर्गत धारा 376 (2) (एन) व 506 भारतीय दण्ड संहिता का पुलिस थाना महिला, श्रीगंगानगर में दर्ज करवा दिया था जिसमें बाद अनुसंधान पुलिस ने प्रकरण को अदम वक्कू (झूठ) मानते हुए अंतिम रिपोर्ट संख्या 96/22 दिनांक 14.05.2022 को न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर में पेश कर दिया था व प्रार्थीया ने उपस्थित होकर उक्त अंतिम प्रतिवेदन को दिनांक 14.05.2022 को स्वीकार कर लिया था। प्रार्थिया अप्रार्थी संख्या 01 की पत्नी नही हैं। प्रार्थिया ने प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 59/22 में अप्रार्थी संख्या 01 को दबाव देकर व झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर अप्रार्थी संख्या 01 से एक शपथ पत्र तहरीर करवा लिया था जिससे प्रार्थिया को बतौर पत्नी कोई विधिक अधिकार प्राप्त नही होता। प्रार्थना पत्र में अंकित कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 01 ता 03 की पुस्तैनी जायदाद है जो की अप्रार्थी संख्या 01 व 02 के नाम तथा अप्रार्थी संख्या 03 के पति संता सिंह के देहान्त के उपरान्त विधिक उत्तराधिकारी के नाते प्राप्त हुई है। प्रार्थीया का उक्त कृषि भूमि में किसी प्रकार से हक व हिस्सा नही बनता हैं। यहां यह भी अंकित करना आवश्यक है कि अप्रार्थी संख्या 06 व 07 गुड्डी देवी के पति रामस्वरूप की संतान है व वाद में वर्णित कृषि भूमि में कोई विधिक अधिकार नही रखते है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 03 में अंकित कथन स्वीकार है। उक्त कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 01 ता 03 के नाम जमाबंदी में दर्ज हैं व अप्रार्थी संख्या 01 ता 03 उक्त कृषि भूमि पर निर्विवाद रूप से कब्जा

सहायक कलक्टर एव कार्यपालक दण्डनायक (कार्यवाहक) श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.12.04 17:41:13 IST
Reason: SelfAttested

काश्त कर रहे हैं। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 04 में अंकित कथन मनगढत व निराधार होने से स्वीकार नही है। वास्तविकता यह है कि वाद में अंकित कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 01 ता 03 की पुश्तैनी जायदाद है जो की अप्रार्थी संख्या 01 व 02 के पिता तथा अप्रार्थी संख्या 03 के पति संता सिंह के देहान्त के उपरान्त प्रथम वर्ग के विधिक उत्तराधिकारी के नाते प्राप्त हुई है। प्रार्थीया का उक्त कृषि भूमि में किसी प्रकार से हक व हिस्सा नही बनता है। यहां यह भी अंकित करना आवश्यक है कि अप्रार्थी संख्या 06 व 07 गुड्डी देवी के पति रामस्वरूप की संतान है व वाद में वर्णित कृषि भूमि में कोई विधिक अधिकार नही रखते हैं। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 05 में अंकित कथन मनगढत व निराधार होने से स्वीकार नही है। प्रार्थिया अपार्थी संख्या 01 ता 03 की उक्त वाद में अंकित कृषि भूमि में कोई विधिक अधिकार नही रखती है ना ही विधिक रूप से वाद लाने में सक्षम हैं ना ही अस्थाई निषेधाज्ञा के तहत किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारी है। इस कारण भी प्रार्थीया का प्रार्थना खारिज किये जाने योग्य हैं। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 06 में अंकित कथन मनगढत व निराधार होने से स्वीकार नही है। अप्रार्थी संख्या 01 ता 03 की उक्त वाद में अंकित कृषि भूमि में कोई विधिक अधिकार नही रखती है ना ही विधिक रूप से वाद लाने में सक्ष्म हैं। इस कारण भी प्रार्थियाप्र का वाद खारिज किये जाने योग्य हैं। प्रार्थिया ने अप्रार्थी संख्या 01 ता 03 पर हस्तगत वाद के जरिये पूर्वनियोजित योजना के तहत दवाब देकर धनवसूली करने के लिए पेश किया गया हैं। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 07 अंकित कथन मनगढत व निराधार होने से स्वीकार नही है। प्रार्थिया अप्रार्थी संख्या 01 ता 03 की उक्त वाद में अंकित कृषि भूमि में कोई विधिक अधिकार नही रखती है ना ही विधिक रूप से वाद लाने में सक्ष्म हैं। सम्पूर्ण वाद के अवलोकन से प्रार्थिया प्रथम दृष्टया मामला और अपूर्णीय क्षति का तथ्य स्पष्ट करने में असफल रही है। प्रार्थिया का उक्त कृषि भूमि से किसी प्रकार का विधिक अधिकार नही होने से प्रार्थीया का हक प्रभावित नही होता हैं ना ही वादिया को किसी प्रकार की अपूर्णीय क्षति कारित होने की संभावना हैं। बल्कि प्रार्थिया आपराधिक प्रवृति की महिला हैं व प्रार्थिया ने अप्रार्थी संख्या 01 को ब्लैकमेल करने के आशय से उस पर दिनांक 23.03.2022 को एक झूठा व मनगढत प्रकरण संख्या 59/22 अन्तर्गत धारा 376 (2)(एन) व 506 भारतीय दण्ड संहिता का पुलिस थाना महिला, श्रीगंगानगर में दर्ज करवा दिया था जिसमें बाद अनुसंधान पुलिस ने प्रकरण को अदम वक्अू (झूठ) मानते हुए अंतिम रिपोर्ट संख्या 96/22 दिनांक 14.05.2022 को न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर में पेश कर दिया था व प्रार्थिया ने उपस्थित होकर उक्त अंतिम प्रतिवेदन को दिनांक 14.05.2022 को स्वीकार कर लिया था। प्रार्थिया अप्रार्थी संख्या 01 की पत्नी नही हैं। प्रार्थिया ने प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 59/22 में अप्रार्थी संख्या 01 को दबाव देकर व झूठे मुकदमें में फंसाने की धमकी देकर अप्रार्थी संख्या 01 से एक शपथ पत्र तहरीर करवा लिया था जिससे प्रार्थिया को बतौर पत्नी कोई विधिक अधिकार प्राप्त नही होता। प्रार्थना पत्र में अंकित कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 01 ता 03 की पुस्तैनी जायदाद है जो की अप्रार्थी संख्या 01 व 02 के पिता तथा अप्रार्थी संख्या 03 के पति संता सिंह के देहान्त के उपरान्त विधिक उत्तराधिकारी के नाते प्राप्त हुई है। प्रार्थिया का उक्त कृषि भूमि में किसी प्रकार से हक व हिस्सा नही बनता हैं। यहां यह भी अंकित करना आवश्यक है कि अप्रार्थी संख्या 06 व 07 गुड्डी देवी के पति रामस्वरूप की संतान है व वाद में वर्णित कृषि भूमि में कोई विधिक अधिकार नही रखते हैं। यदि प्रार्थिया के मनगढत व झूठे कथनों के आधार पर कोई अनुतोष प्रदान किया जाता है तो अप्रार्थी संख्या 01 ता 03 को कभी ना पूरा होने वाला नुकसान कारित होगा व प्रार्थिया को उसके दोषपूर्ण कृत्य का लाभ दिये जाने से समाज में गलत संदेश प्रसारित होगा। इस कारण प्रार्थिया अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारी नही हैं। लिहाजा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थिया को उक्त कृषि भूमि में किसी प्रकार से विधिक हक हकूक नही बनता है। प्रार्थिया ने उक्त वाद विधिक प्रक्रिया के दुरूपयोग करते हुए वास्तविक तथ्यों को छिपाते हुए पेश किया है। प्रार्थिया वाद पत्र में वांछित अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारी नही है। प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र उक्त तथ्यों के मद्देनजर भारी जुर्माना पर खारिज फरमाया जावे। श्रीमान जी की अति कृपा होगी अतः जवाब प्रार्थना पत्र अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.12.04 17:41:13 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (फास्ट ट्रैक) श्रीगंगानगर

दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, व अपूर्णीय क्षति पर विचार करना होगा। **प्रथम दृष्टया मामला**– पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अधिकारों की घोषणा हेतु प्रस्तुत किया हुआ है परन्तु प्रार्थिया अपने आप को बतौर पत्नि हरप्रीत सिंह जरिये दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रही है। जिस कारण प्रथम दृष्टया प्रार्थिया को कोई हक व विधिक अधिकार अप्रार्थी संख्या 01 को प्राप्त कृषि भूमि मे नहीं बनता है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थिया के विरूद्व निर्णित किया जाता है। **सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति**– अभिकथनों कि पुनरावृति से बचने व सुविधा की दृष्टि से दोनों बिन्दुओ का विवेचन एक साथ किया जा रहा है। पत्रावली में प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073, चक 4 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 95/96 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 01 ता 03 रिकॉर्डिड खातेदार है एवं किसी रिकॉर्डिड खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। चूंकि प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थिया के विरूद्व निर्णित हो चुका है। प्रार्थिया को कोई विधिक अधिकार अप्रार्थी संख्या 01 की कृषि भूमि पर नहीं बनता है एवं किसी अभिलिखित खातेदार को खातेदारी अधिकारों एवं सुविधा से वंचित किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति अप्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

–: आदेश :–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर पत्रावली में अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनो बिन्दू अप्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित होने से प्रश्नगत आराजी चक 4 वाई, पटवार हल्का कालियां, भू0अ0नि0 क्षेत्र कालियां तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 95/96 के मुरब्बा नं0 47 किला नं. 1 ता 18 एवं किला नं. 25 की कुल 4.110 हैक्टे0 रकबा पर जारी अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 28.11.2022 खारिज की जाती है। मूल वाद के निस्तारण तक विविध पत्रावली संख्या 56/2022 मूल वाद संख्या 98/2022 के साथ नत्थी रहे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा से दिनांक 25.11.2024 को सुनाया गया।

स्वाति गुप्ता
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.12.04 17:41:13 IST
Reason: SelfAttested